राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषितः- (1) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
(2) निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांकः- प. 5(4)राज-4/89/11 जयपुर, दिनांकः- 23/6/2000

-: प रि प त्र :-

विषयः- पति-पत्नी के नाम संयुक्त रूप से पट्टा जारी करने के संबंध में ।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 में आवंटन हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में देना होता है । भूमिहीन कृषक द्वारा आवेदन करते समय यह आवश्यक है कि वह एवं उसकी पत्नी दोनों ही के पास भूमि नहीं होनी चाहिए । अतः यह आवश्यक है कि आवेदन पत्र में आवेदक के विवाहित होने पर आवेदन पत्र में स्वयं के पति/पत्नी का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए । इसी प्रकार आवंटन आदेश, सनद/पट्टा आवेदक पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से जारी किया जाए । आवंटन के पश्चात अमल दरामदगी तथा खातेदारी भी संयुक्त रूप से दी जाये । इससे महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी एवं अधिकार सम्पन्न बनाया जा सकेगा । यह परिपत्र दिनांक 15.8.2000 से प्रभावी होगा ।

कृपया इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।

(प्रदीप देव)
सचिव, राजस्व

मनोज/235